न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट

पीठासीन अधिकारी :- श्री मांगीलाल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 08/2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. गंगाराम पुत्र रूघनाथ 2. भैराराम पुत्र रूघनाथ सभी जाति जाट निवासी पल्ली प्रथम तहसील लोहावट जिला फलौदी।		1. तहसीलदार लोहावट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :-प्रार्थीगण की ओर से :-अधिवक्ता श्री लंकेश सुथार।

दिनांक 29.05.2024

-:: निर्णय ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि तहसील लोहावट पटवार मण्डल पल्ली के राजस्व ग्राम पल्ली प्रथम की सरहद में खेत खसरा नम्बर 100 रकबा 1.4650 हैक्टेयर व खसरा, नम्बर 98 रकबा 0.5504 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.0486 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की आई हुई है प्रार्थीगण के उक्त खसरान् के पड़ोसी खातेदार प्रार्थीगण के खेतों की सीमाओं, कणा-मावें को खुर्द-बुर्द कर प्रार्थीगण जमीन में घुसकर कब्जा करना चाहते है। इसलिए प्राथीगण अपनी खातेदारी की भूमि की पेमाईश के लिए तहसीलदार साहब लोहावट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार फीस जमा करवायी जाकर पेमाईश करने के लिए आदेश रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 10 कम सख्या 169 दिनांक 06.03.2019 को प्राप्त किया गया। जिस पर तहसीलदार के आदेशानुसार दिनांक 17.06.2019 को हल्का पटवारी पल्ली ने सीमांकन करने के लिये मौके पर गये तथा मौके पर सीमा चिन्हन पर निशान करवाये गये तथा खातेदार व पड़ौसी खातेदारों को कणा-माठ बताई गई तो पड़ोसी खातेदार द्वारा विवाद करने पर की गई पैमाईस के अनुसार खुटे रोपने नहीं दिये तथा हल्का पटवारी को मौका रिपोर्ट पेश कर दी जो संलग्न पत्रावली में है। हल्का पटवारी ने हमारे खेत खसरा नम्बर 98,99,100 की विधिवत पैमाईश की गई तथा खसरा नम्बर 98,99,100 के खातेदार पैमाईस से सन्तुष्ट तथा सहमत है लेकिन मौके पर पड़ौसी खातेदार द्वारा विरोध करने पर खुटे व तारबन्दी नहीं की जा सकी। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर पड़ौसी खातेदारों ने मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। हमारी संयुक्त खातेदारी भूमि के खातेदार द्वारा नियमानुसार पेमाईस करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहते है जिसकी सीमाओं पर पत्थर गाड कर तारबन्दी करके भूमि के विकास कार्य करना चाहते है परन्तु अप्रार्थी द्वारा सीमांकन नहीं किये जाने से प्रार्थीगण अपने खेत की सीमा पर पत्थर के खुटे व तारबन्दी नही होने से मवेशियो आदि से फसल को नुकसान पहुंचाते है जिससे प्रार्थीगण को नुकसान हो

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर लोहावट (जिला फलौदी)

रहा है इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगढी के लिए टीम गठित कर पत्थगढी करवाना चाहते है ताकि हमेशा प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारों से अनावश्यक विवाद नहीं बढ़कर झगड़ा फसाद नहीं हो इसलिए प्रार्थीगण उक्त भूमि की सीमांकन करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण खातेदारी भूमि ग्राम पल्ली प्रथम पटवार हल्का पल्ली तहसील लोहावट के खेत खसरा नम्बर 100 रकबा 1.4650 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 98 रकबा 0.5504 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.0486 हैक्टेयर का सीमांकन किया जाकर पत्थरगढी करवाने का आदेश दिलावें एवं मौके पर शान्ति व्यवस्था के लिए भार साधक अधिकारी पुलिस थाना लोहावट को मौके पर उपस्थित रहने के लिए पाबन्द करावें एवं सीमांकन फीस व पत्थरगढी के लिए पत्थर प्रार्थीगण स्वयं उपलब्ध करवाएंगे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार लोहावट का नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली पर प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यो का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रार्थी द्वारा अपनी उक्त भूमि में बोई फसल एंव प्राकृतिक पैदावार की सुरक्षा आवारा जानवरों से स्थायी तारबंदी जाली के अभाव में नही होने के कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है एवं इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है और न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाने है। इसलिए प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकर योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लोहावट को आदेश दिये जाते है कि ग्राम पल्ली प्रथम पटवार हल्का पल्ली तहसील लोहावट के खसरा नम्बर 100 रकबा 1.4650 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 98 रकबा 0.5504 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.0486 हैक्टेयर भूमि की सीमाओ का राजस्व टीम गठीत करवाकर, नियमानुसार सीमांकन किया जाकर सीमाज्ञान चिन्हित कर मौके पर आवश्यक होने पर शान्ति व्यवस्था के लिए संबंधित पुलिस थाना लोहावट से ईमदाद ली जाकर उपरोक्त खसरा की सीमाओं की पत्थरगढी करवायी जावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 29.05.2024 को सुनाया गया।

मांगलाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी लोहावट

उप खण्ड अधिकारी
लोहावट जिला फलौदी